न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/84/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/302

अपीलार्थी

श्री जलसिंह पुत्र रत्तीराम,
ग्राम–नीमलाका, पोस्ट–कलगांव, तहसील–कोटकासिम
जिला–अलवर (राज.)–301702

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर

प्रवेश तिथि :: 12.07.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 16.08.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 28.5.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर गांव नीमलाका, तह. कोटकासिम अंतर्गत रास्ते से अतिक्रमण हटवाने के क्रम में प्रस्तुत शिकायत प्रा0पत्र दिनांकः 15.02.22 के संबंध में की गई कार्यवाही संबंधी बिन्दुवार सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. अपीलार्थी के आक्षेप/कथनानुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा किसी प्रकार के विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः –, जो कि इस न्यायालय को दिनांकः 06.07.2022 को प्राप्त हुई, के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। प्रत्यर्थी की ओर से वांछित सूचना अपीलार्थी को प्रेषित करते हुए पत्र सं. 1842 दिनांकः 29.07.22 के माध्यम से प्रति इस न्यायालय को पृष्ठांकित की गई है।
6. अपीलार्थी के **सूचना आवेदन दिनांकः 28.05.2022**, प्रथम अपील दिनांकः 06.07.2022 एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त जवाब नोटिस का परीक्षण किया गया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांकः 28.05.2022 में वांछित सूचना संबंधी दस्तावेजात् की प्रमाणित प्रति जारी करने हेतु जरिये पत्र सं 1671 दिनांकः 01.07.22 के माध्यम से 18 पृष्ठीय सूचना हेतु रू. 36/– (रूपये छत्तीस मात्र) जमा राजकोष कराने हेतु लिखा गया है किन्तु वांछित शुल्क जमा राजकोष नही कराया गया। इसी अनुक्रम में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र सं 1733 दिनांकः 12.07.22 के माध्यम से प्रश्नगत शुल्क जमा राजकोष कराने हेतु स्मरण–पत्र जारी किए जाने पर फोटोप्रति शुल्क दिनांकः 18.07.22 को जमा राजकोष कराए जाने पर **पत्र सं. 1841 दिनांकः 29.07.22 के माध्यम से 18 पृष्ठीय (बहुपृष्ठीय) सूचना प्रेषित की जा चुकी है।**
8. अतः उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा, अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दिए जाने के कारण अपील खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 16.08.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)